21/7/22 याचिका पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित नहीं। अधि० प्रार्थी हाजिर। अधि० प्रार्थी हाजिर नहीं अतः अधि० प्रार्थी को आवाज लगाई गई, किन्तु कोई प्रतिनिधि हाजिर नहीं। अधि० प्रार्थी को न्यायालय समय [illegible] तक रुक 2 कर आवाज लगाई गई, किन्तु कोई हाजिर नहीं। अतः [illegible] हाजिर नहीं अतः प्रार्थी [illegible] 312 R.C.T. 1955 को अंतर्गत पेश अपील बोर्ड में प्रचलित [illegible] अपील की गणना निर्धारित [illegible] याचिका को खारिज किया जाकर उपयुक्त कार्यवाही अधि० लेखापाल भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी
21/07/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:45:15 IST
Reason: SelfAttested